

// आदेश //

वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में विभागीय प्रोन्नति कोटा की चयन वर्ष 2018-19 की रिक्तियों पर नियमित प्रोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983/ 1997 में समय-समय पर हुये संशोधनों के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली के नियम 5(2) 5(3) 5(4) एवं नियम 16 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 1970 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित विभागीय तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-94(ii)/06/ पी/एस-5/2018-19 दि० 24-12-2018 द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है। आयोग द्वारा प्रेषित उक्त संस्तुति के क्रम में निम्न चयनित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 Rs. 9300-34800 +ग्रेड पे Rs. 4800) (दिनांक 01-01-16 से प्रभावी वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (रू० 47,600-1,51,100)) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री)	संवर्ग का नाम जिससे पदोन्नति प्रस्तावित है
1.	2	3	4
1.	325	राम नरेश	(आशुलिपिक संवर्ग)
2.	326	जगदीश प्रसाद वर्मा	"
3.	327	चन्द्र प्रकाश	"
4.	328	रमेश चन्द्र कर्नोजिया	"
5.	329	मक़सून लाल	"
6.	1001	निलोफर श्रीमती	(लिपिक संवर्ग)
7.	1002	वीरेन्द्र बहादुर	"
8.	1003	जय प्रकाश राय	"
9.	1004	ललिता दीपक बत्रा	"
10.	1005	राजेश कुमार सक्सेना	"
11.	1006	गोपाल कृष्ण सारस्वत	"

(क) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति मानी जायेगी।

(ख) उपर्युक्त वाणिज्य कर, अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वाणिज्य कर, अधिकारी संवर्ग में यथा समय बाद में अलग से नियमानुसार प्रचलित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।

(ग) उक्त नव पदोन्नत वाणिज्यकर अधिकारियों को संबन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर/ ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/ ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) मुख्यालय / डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असि०कमि० (प्रशासन) वाणिज्य कर, अपने कार्यालय में इस प्रतिबन्ध के साथ तत्काल कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करे कि वे अग्रिम तैनाती के आदेशों तक अपने जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, के निर्देशानुसार वर्तमान तैनाती के स्थान पर पूर्ववत् अथवा कार्य करते रहेंगे।

(घ) उक्त संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में आधारभूत/ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किये जाने पर यदि कोई अधिकारी प्रश्नगत प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होगा तो यह माना जायेगा कि वह वाणिज्य कर अधिकारी के पद का कार्य, आवश्यक क्षमता व ज्ञान के साथ करने का इच्छुक नहीं है और उन्हें तत्काल प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। आधारभूत /व्यावहारिक प्रशिक्षण, वाणिज्य कर अधिकारी के पद के दायित्वों का दक्षता से निर्वहन किये जाने हेतु अत्यन्त आवश्यक है और इसमें नामित किसी भी अधिकारी को इससे किसी भी आधार पर न तो छूट मिलेगी न ही अगले कोर्स में भाग लेने की किसी भी प्रार्थना को माना जायेगा। अतः जिस अधिकारी को लगता है कि वह अपनी जटिल पारिवारिक स्वास्थ्य

A fine

2

D.C.(IT)

6-2-19

3990

7-2-19

सम्बन्धी अथवा अन्य व्यक्तिगत समस्याओं के कारण इस आधार भूत व्यावहारिक प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सकता है, वह पदोन्नति फोरगो (Forgo) कर सकता है। भविष्य में इस प्रशिक्षण में भाग न लेने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उपरोक्तानुसार प्रत्यावर्तित करने के अतिरिक्त अन्य अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(च) उक्त सभी अधिकारी प्रारम्भ में दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ायी भी जा सकती है।

(छ) उक्त सभी पदोन्नतियों रिट या0स0 61917/ 2008 बाबू खॉ बनाम राज्य सरकार व अन्य, रिट याचिका संख्या 10665 / 2006 एवं रिट याचिका संख्या-ए-35545/ 2015 उत्तर प्रदेश कामर्शियल टैक्स स्टैटिस्टिकल स्टाफ एसोशिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य एवं अवमानना याचिका सं0 3631/2018 में पारित होने वाले निर्णय के अधीन सशर्त जारी की जा रही है।

(ज) समस्त सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर/ ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक/वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/अपील/ उच्च न्यायालय कार्य / ज्वाइंट कमिश्नर मुख्यालय) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों को पदोन्नति के पद पर तुरन्त कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।


एच/-
(अमृता सोनी)
कमिश्नर

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को आयोग के पत्र संख्या-94(ii)/06/ पी/एस-5/2018-19 दि0 24-12-2018 के सन्दर्भ में दो प्रतियाँ।
- 2- विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 4- निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को राजकीय गजट में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 5- एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- समस्त जौनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे नव पदोन्नत उक्त वाणिज्य कर अधिकारियों के कार्यभार करने की सूचना आन लाइन कम्प्यूटर के माध्यम से तथा हार्ड कापी विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक 08-02-2019 तक मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी क्रम में अपने जौन के समस्त नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों में से जो अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक न हों उनसे पदोन्नत फोरगो संबंधी प्रार्थना पत्र प्राप्त करके एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को अवगत करायेगे।
- 7- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, गौमतीनगर, लखनऊ।
- 8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त एडी0 कमि0 ग्रेड-2, वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 10- संबंधित अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 11- समस्त मुख्य कोषधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 12- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 13- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/अपील/ उच्च न्यायालय कार्य) उत्तर प्रदेश।
- 14- समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0/वि0अनु0शा0/प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 15- ज्वाइंट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को आदेश की एक प्रति तत्काल विभागीय बेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- 16- मैनुअल अनुभाग, मुख्यालय।
- 17- कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए स्थापना राजपत्रित अनुभाग वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 18- स्था0-2, पटल को संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु।
- 19- चरित्र पंजिका पटल को दो प्रतियाँ।
- 20- संबंधित अधिकारियों को नाम से।


ज्वाइंट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।